Previous Year Paper

MADHYA PRADESH CJ MAINS 2015

FIRST PART
CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1(a) How and to what an extent can the Constitution of India be amended ? Discuss in the light of case law.
संविधान में किस प्रकार तथा किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है ? निर्णित वादों का संदर्भ देते हुये विवेचना किजिये।

1(b) Discuss power of the Governor to promulgate Ordinances.
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का विवेचन कीजिये ।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

2(a) Which properties are liable for attachment and sale in execution of a decree and which properties cannot be attached in execution of a decree?
वे कौन-सी सम्पत्तियाँ हैं जिनको आज्ञप्ति के निष्पादन में कुर्क और विक्रय किया जा सकता है और वे कौन-सी ऐसी सम्पत्तियाँ हैं, जिनको आज्ञप्ति के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता ?

2(b) Define Injunction. Explain the grounds and principles for grant of Temporary Injunction.
व्यादेश को परिभाषित कीजिये, अस्थायी व्यादेश प्रदान करने के आधार व सिद्धांतों को समझाइये ?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

3(a) Explain the conditions necessary for the application of the doctrine of part performance. Who can avail this doctrine ?
आंशिक पालन के सिद्धान्त को लागू होने के लिये आवश्यक दशाओं को स्पष्ट कीजिए । इस सिद्धान्त को कौन उपयोग में ला सकता है ?

3(b) What is sale? What are the essentials of a valid sale? What is contract for sale? What are the differences between the two?
विक्रय क्या है ? वैध विक्रय के आवश्यक तत्व क्या हैं ? विक्रय की संविदा क्या है ? दोनों में क्या भेद हैं ?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

4(a) What is lawful consideration ? When would the consideration or object of an agreement be unlawful?
विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है ? किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य कब विधि विरूद्ध समझा जायेगा ?

4(b) "Time is the essence of the contract" Discuss. What would be the effect of breach of covenant as to time ?
"समय संविदा का मर्म है" विवेचन करें । समय के संबंध में संविदा की शर्त भंग करने का प्रभाव क्या होगा?

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

5(a) Under what circumstances can a person sue for the cancellation of an instrument?
लिखत के निरस्तीकरण के लिये एक व्यक्ति किन परिस्थितियों में वाद प्रस्तुत कर सकता है ?

5(b) When can the court enforce specific performance of a contract and under what circumstances the specific performance of the contract would be denied by the court?
कब न्यायालय द्वारा संविदा का विनिदिष्ट पालन कराया जा सकता है और किन परिस्थितियों में संविदा का विनिदिष्ट पालन कराने से न्यायालय द्वारा इंकार किया जा सकता है ?

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

6. What is the effect of acknowledgement of liability and part payment of debt?
दायित्व की अभिस्वीकृति और ऋण के आंशिक भुगतान का क्या प्रभाव है ?

MIXED
मिश्रित

7. Write Short-notes on : -
(A) Directive Principles of the State.
(B) Proper Party & necessary Party.
(C) Inherent powers of Civil Court.

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
(अ) राज्य के नीति निर्देशक तत्व ।
(ब) उचित पक्षकार एवं आवश्यक पक्षकार ।
(स) सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ ।

SECOND PART

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics:
निम्नलिखित सामाजिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Smart City Project
स्मार्ट सिटी परियोजना

(ii) Role of Politicians in Sports Associations
खेल संघों में राजनीतिज्ञों की भूमिका

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics :

निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Euthanasia

यूथेनसिया (इच्छा मृत्यु)

(ii) What should be the age for a Juvenile under Juvenile Justice Act ?

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल अपचारी के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए ?

3. Summarize the one of the following English /Hindi passage - निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए -

1- Plaintiffs "A" and "B" are owners of house No. 32 situated in ward No.10 of the city of Hoshangabad. The defendant "K" is tenant in respect of two rooms situated on the ground floor of the house for non-residential purposes @ Rs. 3000 per month, since the life time of father of the plaintiffs, who is no more. The tenancy begins from the first date of the month and expires on the last date of the month.

2- Another unmarried brother of the plaintiffs' "C" was residing in the remaining portion of the ground floor and first floor of the house, who died on 04-02-14. The defendant 'K' used to pay the rent to 'C', namely, the brother of the plaintiff and used to obtain the receipts. However, from 1.2.2014, the defendant did not tender the rent despite several oral demands made by the plaintiff and despite the notice dated 15.9.2014 which was sent by the registered post. Thus, the defendant is in arrears of rent from 01.02.2014 till the presentation of the plaint.

3- After the death of 'C', the defendant without written permission of the plaintiff had unlawfully occupied one room in ground floor and two rooms in the first floor which were in possession of 'C' and were not let out to the defendant. Prior to institution of the suit, the plaintiff sent notice to the defendant by registered post in which the demand of arrears of rent with effect from 1.2.2014 was made as well as the possession of encroached portion of the suit house was also sought but the defendant did not vacate the encroached portion of the suit premises despite the notice.

4- In his written reply sent by the defendant to the above notice of the plaintiffs before filing of the suit, the defendant has challenged the ownership of the suit house of the plaintiffs. Thus on this ground the defendant is also liable to be evicted under the M.P. Accommodation Control Act, 1961. Thus, the defendant is liable to be evicted on the grounds enumerated under Sections 12 (1) (a), (c) and (o) of the M.P. Accommodation Control Act, 1961.

5- The plaintiffs are entitled to receive the arrears of rent from 1.2.2014 till the filing of the plaint. In addition, the plaintiffs are also entitled to damages from the date of judgment till the recovery of the possession in respect of the suit accommodation at the rate of Rs.3,000/- (Rupees Three Thousand) per month and Rs.2000/- (Rupees Two Thousand) per month for the portion which has been encroached by the defendant as damages from the date of institution of the suit till the delivery of possession.

6- For the purpose of jurisdiction of the Court, the reliefs claimed in the suit have been properly valued and prescribed court fee has been paid on it. The cause of action accrued to the plaintiff to file the suit within the territorial jurisdiction of this Court on receiving of reply from the defendant.

linkinglaws.com

अथवा / OR.

1. वादीगण "अ" तथा "ब" होशंगाबाद शहर के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित मकान क्रमांक 32 के स्वामी हैं । वादीगण के पिता जो अब जीवित नहीं हैं, के जीवनकाल से प्रतिवादी "क" तल मंजिल के 2 कमरों में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 3000 रूपये मासिक किराया दर पर किरायेदार है । किरायेदारी प्रत्येक माह की पहली तारीख से प्रारंभ होकर, माह की अन्तिम तारीख पर समाप्त होती है ।

2. वादीगण का अन्य अविवाहित भाई "स" वादग्रस्त स्थान वाले मकान के तल मंजिल के शेष भाग तथा ऊपरी मंजिल में निवास करता था, जिसकी दिनांक 04.02.14 को मृत्यु हो गई । प्रतिवादी "क" द्वारा किराये का भुगतान वादी के भाई "स" को किया जाता रहा है और पावती प्राप्त की जाती रही है तथापि, 01.02.2014 से वादी द्वारा की गई अनेक मौखिक मांगों के बावजूद और नोटिस दिनाँक 15.09.2014 जो कि पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई थी, के बावजूद भी प्रतिवादी ने किराया अदा नहीं किया । इस प्रकार प्रतिवादी पर 01.02.2014 से वादपत्र प्रस्तुतीकरण तक का किराया बकाया है ।

3. "स" की मृत्यु के पश्चात्, प्रतिवादी ने बिना वादी की लिखित अनुमति के, भूतल का 1 कमरा और प्रथम तल के 2 कमरे जो कि "स" के आधिपत्य में थे और प्रतिवादी को किराये पर नहीं दिए गए थे, पर अवैध कब्जा कर लिया । वाद दायर करने के पूर्व वादी ने प्रतिवादी को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जिसमें 01.02.2014 से बकाया किराये की मांग के साथ वादग्रस्त मकान के अतिक्रमण किए हुए हिस्से का आधिपत्य भी मांगा गया किंतु नोटिस के बावजूद प्रतिवादी ने वादग्रस्त परिसर के अतिक्रमण वाले हिस्से को खाली नहीं किया ।

4. वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुति के पूर्व दिये गये नोटिस का प्रतिवादी की ओर से दिये गये लिखित उत्तर में प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान पर वादीगण के स्वामित्व को चुनौती दी है । अतः इस आधार पर भी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, के अन्तर्गत प्रतिवादी निष्कासन का पात्र है । इस प्रकार प्रतिवादी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, की धारा 12 की उपधारा (1) के तीन खण्डों (a), (c) तथा (o) में से प्रत्येक के अन्तर्गत वादग्रस्त स्थान से निष्कासन का पात्र है ।

5. वादीगण 01.02.2014 से वाद दायर किये जाने तक बकाया किराया प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इसके अतिरिक्त वादीगण निर्णय दिनाँक से आधिपत्य की प्राप्ति तक रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से, वादग्रस्त आवास के संबंध में और रूपये 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से. अतिक्रमण किए गए हिस्से के लिए वाद दायर किये जाने की दिनाँक से आधिपत्य प्रदान किये जाने तक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

6. न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिये वाद का विधि अनुसार उचित मूल्यांकन किया गया है तथा उस पर विहित न्याय शुल्क अदा किया गया है । वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद का कारण इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रतिवादी से जवाब प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ है ।

4. Translate the following 15 Sentences into English :
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

(1) याची एक सोसायटी का कर्मचारी था, जिसका बाद में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल में विलयन हुआ।

(2) यदि प्राधिकारी नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करता है, पृथक आरोप पत्र जारी करना अपेक्षित नहीं।

(3) लघुशास्ति आरोपित करने के पहले, अनुशासनिक प्राधिकारी को अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन लेना होगा।

(4) रोस्टर के अनुसार, केवल अनुसूचित जनजाति के दो अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु विचार में लिया जा सकता था।

(5) इन सभी व्यक्तियों को उचित तिथि से योग्य स्थान पर रखकर वरिष्ठता सूची तैयार की जाये।

(6) वादीगण अपने मुकदमे के एकमेव वादनियंत्रक हैं और संशोधन करने के लिए न्यायालय द्वारा उनपर जोर नहीं डाला जा सकता।

(7) राज्य के विरूद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने हेतु, धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कानूनी नोटिस पुरोभाव्य शर्त है।

(8) स्थाई व्यादेश के अनुतोष का दावा केवल उन व्यक्तियों के विरूद्ध किया जा सकता है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की तिथि को वाद कारण उपलब्ध है।

(9) प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्यों के निष्कर्ष ना तो विपर्यस्त है, न ही अवैध।

(10) वादी ने मूल करार इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया कि वह प्रतिवादी के कब्जे में है।

(11) वादी द्वारा पेश की गई कहानी का उसके द्वारा प्रदत्त नोटिस में उल्लेख नहीं पाया गया।

(12) व्यतिक्रम के दण्डादेश को भी तीन वर्षों के सश्रम कारावास के वजाय एक वर्ष के सश्रम कारावास की अवधि तक घटाया गया।

(13) पहचान परेड के समय तथा न्यायालय में भी अभियुक्त की पहचान, आहत साक्षी की निशानदेही पर विश्वसनीय पाई गई।

(14) अभियुक्त ने घटना के तुरंत पश्चात्, अपनी गिरफ्तारी के पूर्व गाँव के चौकीदार एवं पटेल के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की।

(15) पश्चात्वर्ती क्रेता की अनुपस्थिति में, मध्यस्थ द्वारा केवल उन विवादों को विचार में लिया जायेगा जिनसे पश्चात्वर्ती क्रेता के हित प्रभावित ना हों।

5 **Translate the following 15 Sentences into Hindi :**

निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

1. Dismissal of the suit by the trial Court on the ground that it is barred by limitation is illegal and the same deserves to be restored.
2. The accused gave only one blow by sharp-edged weapon, which resulted in the death of the deceased.
3. Nevertheless, it is true that male orchestral players are in an overwhelming majority.
4. The corrupt elements of the society are sucking the blood of the nation like a parasite.
5. The condition of the Government hospitals in India is miserable.
6. Innumerable people have died due to food poisoning and consumption of spurious liquor.
7. She is now their family member and the pride of their family lies in her honour.
8. He is in the habit of not making payment of rent and depositing the rent in time.
9. The children ought to be given proper reward for their hard work.
10. There is a dire need of economic reforms to improve the stagnating economic condition of the country.
11. Our army got ready to defend the Nation from the intruders.
12. Last, but not the least, India does not want to be under the pressure of any country of the world.
13. Everyone is well acquainted with the importance of computers in our day to day lives.
14. The mediator shall be guided by principles of fairness and Justice.

15. I would like to go with the majority that capital punishment should not be abolished.

THIRD PART

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961

म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1(a) Which provisions of M.P. Accommodation Control Act, 19618 bars the jurisdiction of Civil Court in disputes between landlords and tenants ? Explain.

म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के कौन से प्रावधान, भूस्वामियों एवं किरायेदारों के मध्य के विवादों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करते हैं ? स्पष्ट करें ।

1(b) When can a tenant get benefit of protection against eviction on the ground under section 12(1)(a) of M.P. Accommodation Control Act ? किरायेदार को म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (1)a) के आधार पर बेदखली के विरूद्ध संरक्षण का लाभ कब प्राप्त हो सकता है ?

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

2(a) What do you understand by consolidation of holdings? State the procedure, to be followed in case of consolidation of holdings.

खातों की चकबन्दी से आप क्या समझते हैं ? खातों की चकबन्दी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।

2(b) Explain the remedy available to the occupancy tenant and government lessee against the wrongful dispossession ?

अधिपति (मौरूसी) कृषक एवं शासकीय पट्टेधारी की दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध उपलब्ध उपचारों को स्पष्ट करें ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

3(a) How contents of electronic records may be proved and how it becomes admissible in any proceeding ?

इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किस प्रकार प्रमाणित की जा सकेगी और किसी कार्यवाही में यह किस प्रकार ग्राह्य की जा सकेगी ?

3(b) Discuss, the rule of 'exclusion of oral evidence by documentary evidence'.

'दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य का वर्जन कर देती है', इस नियम का विवेचन करें ।

INDIAN PENAL CODE, 1861

भारतीय दण्ड संहिता, 1861

4(a) Distinguish between 'giving false evidence and fabricating false evidence' ?

'मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने' के मध्य अंतर स्पष्ट करें ?

4(b) What is extortion? How it differs from theft? Describe with illustration.

उद्दापन (अपकर्षण) क्या है ? यह चोरी से किस तरह भिन्न है ? उदाहरण सहित समझाइये।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

5(a) What is "Plea-Bargaining"? Discuss its scope and application.

"प्ली बार्गेनिंग" क्या है ? इसके विस्तार एवं अनुप्रयोग का विवेचन करें ।

5(b) What are the provisions relating to sentence of imprisonment in default of payment of fine and what is the maximum period of imprisonment in default of fine when the offence is punishable with fine only ?

अर्थदण्ड अदा न करने पर कारावास के दण्ड के क्या प्रावधान हैं और केवल अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध की दशा में अर्थदण्ड अदा न करने पर कारावास की अधिकतम सीमा क्या है ?

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. Who is responsible for the offence committed by a company U/s 138 N.I.Act ? Explain the relevant provisions of law.

कंपनी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए कौन दायी है ? विधि के सुसंगत प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए ।

MIXED
मिश्रित

7. Write Short-notes on : -
(A) Dying Declaration.
(B) Offence of Stalking under Indian Penal Code.
(C) Member of family under M.P. Accommodation Control Act, 1961.

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
(अ) मृत्युपूर्व कथन
(ब) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने का अपराध ।
(स) म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुटुम्ब का सदस्य ।

FOURTH PART
SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under -

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- The plaintiff has filed a suit for eviction and consequential relief against the defendant under the provisions of M.P. Accommodation Control Act 1961. The grounds are that he is the owner and landlord of the suit accommodation in which the defendant is his tenant @ Rs.3000/ per month. He and his family members reside in a house bearing Municipal House No.20, Sanjeevani Nagar, Jabalpur. The House consists of four small rooms measuring 10 feet x 12 feet in addition to a small kitchen and a living room cum dining room. His family comprises his wife, two sons aged 24 & 20 years and one daughter aged 22 years. His children require separate rooms for their studies. His elder son is marriageable and very soon he will marry him, then he would require a separate room exclusively for him. In the circumstances, his present accommodation is insufficient to fulfill his residential requirements. Therefore, he bonafidely needs the suit accommodation. He has no alternative suitable accommodation of his ownership in Jabalpur city. The defendant has purchased a flat in a posh colony of the city in which he and his family members has been residing for a year. Ever since, the defendant has locked the suit accommodation.

WRITTEN STATEMENT :- The defendant has admitted that he is the tenant of the plaintiff in the suit accommodation @ Rs. 3000/- per month. However, he has denied all the remaining averments made by the plaintiff in the plaint. He has pleaded that the plaintiff's present accommodation consists of 6 big rooms in addition to a kitchen and a living room cum dining room. The plaintiff's eldest son has recently completed his graduation in the engineering stream and he is already got a job in the campus selection in a company based at Bangaluru. Therefore, after his joining the job his requirement for a separate room will come to an end. His wife has purchased a flat with her own income in her name in which their married son and his family reside. They occasionally stay with them. He and his four family members still reside in the suit accommodation. The plaintiff also possesses a house of his ownership in the city which is suitable for his present residential needs. In fact, the plaintiff want to let out the suit accommodation on higher rent after getting him evicted. For this reason, he has filed the suit on false averments. Therefore, the suit be dismissed with compensatory cost.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध निष्कासन एवं पारिणामिक सहायता प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। आधार यह है कि वह वादग्रस्त मकान का स्वामी व मकान मालिक (भूस्वामी) है तथा उसमें प्रतिवादी उसका 3000/- रूपये प्रतिमाह की दर से किरायेदार है । वह वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नगर पालिका भवन क्रमांक 20 संजीवनी नगर, जबलपुर में निवासरत् है । मकान में चार छोटे कमरे हैं, जिनका परिमाप 10 फीट x 12 फीट है। इसके अतिरिक्त एक छोटा रसोईघर व बैठक सह भोजन कक्ष है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 24 व 20 वर्षीय दो पुत्र एवं एक 22 वर्षीय पुत्री है । उसके बच्चों को उनके अध्ययन हेतु पृथक कमरों की आवश्यकता है । उसका बड़ा पुत्र विवाह योग्य है । अतिशीघ्र ही वह उसका विवाह करेगा और तब उसे एकमेव पृथक कमरे की आवश्यकता होगी । इन परिस्थितियों में उसका वर्तमान आवास उसकी रहवासी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त है । अतएव उसे वादग्रस्त आवास की सद्भाविक आवश्यकता है । जबलपुर नगर में उसके पास उसके स्वामित्व का कोई वैकल्पिक सुविधाजनक आवास नहीं है । प्रतिवादी ने नगर के आलीशान कॉलोनी में एक फ्लैट क्रय किया है जिसमें वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक वर्ष से रह रहा है । तबसे प्रतिवादी ने वादग्रस्त आवास में ताला लगा रखा है ।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वह वादग्रस्त आवास में 3000/- रूपये प्रतिमाह की दर से वादी का किरायेदार है । तथापि उसने वादी द्वारा वादपत्र में किये गये शेष सभी अभिवचनों का खंडन किया है । उसने यह अभिवचन किया है कि वादी के वर्तमान आवास में एक रसोईघर और एक बैठक सह भोजन कक्ष के अतिरिक्त 6 बड़े कमरे हैं । वादी के ज्येष्ठ पुत्र ने हाल में ही अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक किया है और उसका कैम्पस चयन बैंगलुरू स्थित एक कंपनी में हो चुका है। अतएव उसका नौकरी करने हेतु बैंगलुरू जाने के पश्चात् उसकी पृथक कमरे की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी । उसकी पत्नी ने स्वयं की आय से स्वयं के नाम पर एक फ्लैट क्रय किया जिसमें उसका विवाहित पुत्र उसके परिवार सहित निवास करता है । वह यदाकदा उनके साथ ठहरता है । वह और उसके चार पारिवारिक सदस्य

अब भी वादग्रस्त आवास में निवासरत् हैं। वादी के पास नगर में उसके स्वामित्व का एक अन्य मकान है जो उसकी वर्तमान आवासीय आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त है। वास्तव में, वादी उसे निष्कासित करने के पश्चात् वादग्रस्त आवास को उच्च किराये पर देना चाहता है। इसी कारण से उसने मिथ्या अभिवचन करके वाद प्रस्तुत किया है अतएव प्रतिकरात्मक व्यय के साथ वाद खारिज किया जाये।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under. PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS - Surendra Singh was a driver of a truck with registration no. HR 55 R7750. On 20.10.2015 he was carrying the truck from Gwalior to Shivpuri. On the way before his truck, Ram Singh was driving a truck bearing registration no. MH 31- 7851 in a rash and negligent manner causing endanger to human life and injury to any other person and he was not allowing Surendra Singh to take his truck forward. Ram Singh stopped his truck near a Dhaba which falls under the territorial jurisdiction of Police Station Satnawad. Seeing that, Surendra Singh also stopped his truck. Thereafter, he took strong objections to the said acts of Ram Singh. Thereupon an altercation broke out between them. In the course of which Ram Singh committed marpeet with Surendra Singh with an iron rod. As a result, he suffered fracture in his right Tibia bone. He also damaged his truck and thus caused him a loss of 8000/- rupees in terms of money.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन - सुरेन्द्र सिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक एचआर 55 आर-7750 का चालक था। दिनाँक 20.10.15 को वह ट्रक को ग्वालियर से शिवपुरी ले जा रहा था। उसके ट्रक के आगे रामसिंह ट्रक पंजीयन क्रमांक एमएच 31-7851 को उतावलेपन और लापरवाहीपूर्वक तरीके से चला रहा था जिससे किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न क्षति या मानवजीवन संकटापन्न हो रहा था और वह सुरेन्द्र सिंह को उसका ट्रक आगे नहीं ले जाने दे रहा था। रामसिंह ने उसका ट्रक एक ढाबे के पास रोका, जो कि पुलिस थाना सतनावद के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता है। यह देखकर सुरेन्द्र सिंह ने भी अपना ट्रक रोका। तत्पश्चात् उसने रामसिंह के उक्त कृत्यों के प्रति कड़ी आपत्ति ली जिसपर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान रामसिंह ने सुरेन्द्र सिंह के साथ लोहे की छड़ से मारपीट की। परिणामस्वरूप, उसकी दाहिनी टीबिया अस्थि में भंग हुआ। उसने उसके ट्रक को भी क्षतिकारित की और इस तरह उसे धन के रूप में 8000/- रूपये की हानि हुई।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)
निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :

Plaintiff's Pleadings:-

1. Plaintiff Om Pal Singh, instituted a suit for recovery of Rs. 54,450/- against the defendant on the basis of a promissory note dated 6th May, 1982. It was averred in the plaint that the defendant being in need of money requested the plaintiff in the month of April, 1982 to give him a loan of Rs. 40,000/-. The plaintiff agreed and gave him a loan of Rs. 40,000/ on 6th May, 1982. After receiving the said amount in cash, the defendant executed a promissory note on the same day with a stipulation to repay the same on demand

linkinglaws.com

along with interest at the rate of 12% p.a. However, the defendant failed to repay the amount despite several oral demands. A registered notice dated 15th April, 1985 was sent by the plaintiff to the defendant demanding repayment of the said amount. Despite receipt of the said notice, the defendant did not return the amount. Therefore, the plaintiff filed the suit for recovery of the aforesaid amount along with interest at the rate of 12% p.a.

Defendant's Pleadings :-

2. The defendant in the written statement has denied that he had ever borrowed a sum of Rs. 40,000/- from the plaintiff and executed any promissory note on 6th May, 1982. It was alleged by him that the promissory note is a forged document. It was also alleged by him that the suit is filed by the plaintiff in collusion with his brother Netra Pal Singh, who is an attesting witness to the promissory note.

Plaintiff's Evidence :-

3. In support of the case, plaintiff Om Pal Singh examined himself as PW-1 and also examined two witnesses, namely, his brother Netra Pal Singh, PW-2 and Malkhan Singh, as PW-3.

4. P.W. 1 Om Pal Singh, the plaintiff, stated that the defendant took a loan of Rs. 40,000/- on interest at the rate of 12% per annum from him on 6th May, 1982 in the presence of his brother Netra Pal Singh, Gurvinder Singh and Malkhan Singh executing the promissory note Ex. Pl. He also stated that the defendant signed the promissory note at points A and B. Malkhan Singh signed at point C and Netra Pal Singh at point D.

5. In his cross-examination he denied the suggestion that no loan was advanced to the defendant and that he had forged the promissory note. He denied the suggestion that Malkhan Singh was not present at that time. He stated that he had sold his vehicle HRP-2128 at the relevant time and, therefore, he had the money with him. He admitted that his brother had also advanced a loan to the defendant.

6. Netra Pal Singh P.W. 2 stated that Om Pal Singh, the plaintiff, advanced a loan of Rs. 40,000/- on interest at the rate of 12% per annum to the defendant in his presence and that of Malkhan Singh whereupon the defendant executed the promissory note Ex. P1. He also stated that the plaintiffs had sold his vehicle for Rs. 1,80,000/- and he paid the loan amount out of the amount.

7. In cross-examination, P.W. 2 admitted that the suit which he had filed against the defendant was dismissed by the Court of Additional District Judge and that as against the said judgment he filed an appeal which is pending in the High Court.

8. Malkhan Singh P.W.3 deposed that he knows the plaintiff and the defendant, that he borrowed Rs. 40,000/- from the plaintiff on 6th May, 1982 and that at that time he, the plaintiff, Netra Pal Singh and others were present. According to him, the defendant himself brought the typed promissory note and Om Pal Singh gave Rs. 40,000/- to him whereupon the defendant executed the promissory note Ex. P1. He had also proved signature of him and those of the defendant and Netra Pal Singh on the promissory note Ex. P1.

9. In cross-examination he denied the suggestion that the plaintiff did not pay Rs. 40,000/- in cash to the defendant. He also denied the suggestion that he was not present when the promissory note was executed by the defendant.

linkinglaws.com

Defendant's Evidence :-

10. The defendant examined himself as DW1 and closed his evidence. He denied having executed any promissory note on the said date. He also denied his signature at points A and B on the promissory note and asserted that those were not his signatures. He admitted his signatures on the vakalatnama executed by him in favour of his Advocate. He also stated that except signing at point PA on the vakalatnama, he had not signed any other document. He furhter stated that he had not even signed the written statement

at point PB. He also denied his signature on the application moved by him under Section 151 of the Code of Civil Procedure.

Arguments Plaintiff :-

11. The counsel appearing for the plaintiff contended that execution of the promissory note dated 6th May, 1982 is duly proved by the plaintiff and his witnesses. Malkhan singh P.W.3, who is an independent witness.

Arguments Defendant :-

12. The learned counsel appearing for the defendant contended that the promissory note was a forged and fabricated document and, therefore, no reliance should be placed on it. It was also submitted by him that the court is not competent to compare the signatures given by the defendant in the Court on 13th March, 1991 with disputed signatures allegedly made by the defendant at point AB on the promissory note Ex.Pl.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये - वादी के अभिवचन :

1- वादी ओमपालसिंह ने प्रतिवादी के विरूद्ध प्रोमेसरी नोट दिनॉक 06-05-1982 के आधार पर 54,450/-रूपये की वसूली हेतु वाद संस्थित किया। वादपत्र में यह कहा गया कि प्रतिवादी को धनराशि की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा अप्रैल 1982 में चालीस हजार रूपये ऋण देने का निवेदन किया गया। वादी सहमत हुआ तथा उसने प्रतिवादी को चालीस हजार रूपये का लोन दिनाँक 06-05-1982 को दिया। उक्त राशि नगद प्राप्त करके प्रतिवादी ने एक प्रोमेसरी नोट संपादित किया जिसमें उल्लेखित था कि उक्त राशि मांगे जाने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वापस करेगा। इसके बावजूद प्रतिवादी बार-बार मौखिक मॉग किये जाने पर राशि वापस करने में असफल रहा। वादी द्वारा दिनाँक 15-04-1985 को प्रतिवादी को उक्त राशि को वापस भुगतान करने के लिये पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रतिवादी ने राशि वापस नहीं की। इसलिये वादी ने उपरोक्त राशि की 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :

2- प्रतिवादी ने जवाबदावा में वादी से चालीस हजार रूपये ऋण लेने एवं दिनाँक 06-05-1982 को प्रोमेसरी नोट संपादित करने से पूर्णतः इंकार किया। प्रतिवादी द्वारा यह आक्षेपित किया गया कि प्रोमेसरी नोट एक फर्जी दस्तावेज है। यह आक्षेप किया गया कि वादी ने अपने भाई नेत्रपालसिंह, जो प्रोमेसरी नोट का एक अनुप्रमाणन साक्षी है, के साथ दुरभिसंधि करके वाद प्रस्तुत किया है।

वादी की साक्ष्य :

3- वादी ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं को वादी साक्षी क्रमांक 1 के रूप में परीक्षित कराया तथा दो अन्य साक्षियों क्रमशः अपने भाई नेत्रपालसिंह एवं श्री मलखानसिंह को वादी साक्षी क्रमांक 2 एवं 3 के रूप में भी परीक्षित कराया ।

Link the Life with Law
linkinglaws.com

4- वादी ओमपालसिंह वा०सा01 ने कहा कि प्रतिवादी ने उससे चालीस हजार रूपये का ऋण 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज पर दिनाँक 06-05-1982 को अपने भाई नेत्रपालसिंह, गुरूदेवसिंह एवं मलखानसिंह तथा अन्य के समक्ष लिया था। वादी ने यह भी कहा कि उक्त ऋण के प्रमाण बतौर प्रतिवादी ने प्रदर्श पी. 1 का प्रोमेसरी नोट संपादित किया है। वादी ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने प्रोमेसरी नोट पर ए एवं बी बिन्दुओं पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी मलखानसिंह ने सी बिन्दु पर तथा नेत्रपालसिंह ने डी बिन्दु पर हस्ताक्षर किये थे।

5- प्रतिपरीक्षण में वादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया था तथा फर्जी प्रोमेसरी नोट तैयार किया गया है। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि उक्त समय पर मलखानसिंह उपस्थित नहीं था। उसने कहा कि उसने अपना वाहन एच0आर0पी0-2128 तत्समय में बेचा था और इसीलिये उसके पास उस समय धनराशि थी। उसने स्वीकार किया कि उसके भाई द्वारा भी प्रतिवादी को ऋण दिया गया है।

6- नेत्रपालसिंह वा0सा02 ने यह साक्ष्य दी कि वादी ओमपालसिंह ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर चालीस हजार रूपये का ऋण उसकी एवं मलखानसिंह की उपस्थिति में दिया था जिस पर से प्रदर्श पी01 का प्रोमेसरी नोट प्रतिवादी ने संपादित किया था। उसने यह भी कहा कि वादी ने उसका वाहन एक लाख अस्सी हजार रूपये में बेचा था और उक्त राशि में से उसने ऋण राशि प्रदान की थी।

7- वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण में कहा कि उसने जो वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, वह निरस्त हुआ था एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध उसने अपील प्रस्तुत की है जो उच्च न्यायालय में लम्बित है।

8- मलखानसिंह वा0सा03 ने साक्ष्य में यह कहा कि वह वादी एवं प्रतिवादी को जानता है एवं प्रतिवादी ने वादी से दिनाँक 06-05-1982 को चालीस हजार रूपये लिये थे । उस समय वह, वादी, नेत्रपालसिंह एवं अन्य उपस्थित थे। प्रतिवादी स्वयं टाईपशुदा प्रोमेसरी नोट लाया था और ओमपालसिंह ने चालीस हजार रूपये उ. रूपये उसे दिये थे, जिस पर से प्रतिवादी ने उसके सामने प्रदर्श पी. 1 का प्रोमेसरी नोट संपादित किया था। उसने प्रदर्श पी. 1 के प्रोमेसरी नोट पर उसके स्वयं के, प्रतिवादी तथा नेत्रपालसिंह के हस्ताक्षर प्रमाणित किये।

9- प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव में अस्वीकार किया कि वादी ने चालीस हजार रूपये प्रतिवादी को नगद नहीं दिये। उसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि जब प्रोमेसरी नोट प्रतिवादी ने संपादित किया तब वह मौजूद ही नहीं था।

प्रतिवादी की साक्ष्य :

10- प्रतिवादी ने स्वयं को प्रति0सा01 के रूप में परीक्षित किया और अपनी साक्ष्य समाप्त की। उसने कथित दिनॉक पर कोई भी प्रोमेसरी नोट संपादित करने से इंकार किया। उसने प्रोमेसरी नोट पर ए तथा बी स्थानों पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया तथा यह कहा कि उक्त हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। उसने अपने अभिभाषक के पक्ष में संपादित वकालतनामा पर भी हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । उसने यह भी कहा कि वकालतनामा पर बिन्दु पी0ए0 पर हस्ताक्षर करके अभिभाषक को देने के अतिरिक्त उसने अन्य कोई दस्तावेज संपादित नहीं किया। उसने आगे कहा कि उसके द्वारा जवाबदावा पर पी0बी0 बिन्दु पर भी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। उसने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 151 सी0पी0सी0 के आवेदन पर भी अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया गया।

तर्क वादी:

11- वादी के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि 06-05-1982 को प्रोमेसरी नोट का संपादन वादी एवं उसके साक्षियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है। मलखानसिंह वा0सा01 एक स्वतंत्र साक्षी है।

तर्क प्रतिवादी:

12- प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि प्रोमेसरी नोट एक फर्जी बनाया गया दस्तावेज है, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा दिनॉक 13-03-1991 को न्यायालय में दिये गये हस्ताक्षरों का विवादित हस्ताक्षरों से मिलान करने के लिये सक्षम नहीं है जो कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श पी01 के प्रोमेसरी नोट पर ए बी भाग में बताये जाते हैं।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)
निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law.

Prosecution Case:- The Prosecution case is that complainant Kuldeepak on 29-08-2007 submitted a written application at city Kotwali in which it is mentioned that he has got a shop of motor parts in the name of Ganga Automobiles situated at Jagatdev Talab. On 24-08-2007 at about 9:00 PM he went to his house after closing the shop. On 25-08-2007 at 9:00 AM, when he opened the shop, he found that the motor parts were scattered. Two crown of GNA Company used in TATA vehicles costing Rs. 7,000/- were not found. On the basis of this report the crime No. 587/2007 under sections 457, 380 of IPC was registered. Site map was prepared. The disclosure statement of the accused was recorded on 08.09.2007 and pursuant to it, two crowns were seized from the house of the accused. The statements of the witnesses were recorded. After completing the investigation the charge sheet was filed in the Court of Judicial Magistrate First Class.

Defence Plea: - The accused denied the charges and his defence is that he has been falsely implicated.

Evidence for prosecution:- The Prosecution examined as many as five witnesses in support of its case. Complainant Kuldeepak (PW-1) proved the FIR Ex.P/1 lodged by him. He deposed the fact of breaking the lock of his shop and theft of aforesaid articles therefrom and deposed the fact of identification of articles. Investigating officer (PW-2) deposed the fact regarding the memo and seizure of stolen property. Rajaram (PW-3) and Gopal (PW-4) were examined to prove memo and seizure but they have not supported the prosecution case. They are declared hostile. Nayab Tahsildar (PW-5) deposed the fact of identification of articles.

Evidence for defence :- Accused examined himself in defence and denied the allegations against him and took a defence of false implication due to enemity.

Arguments of Prosecutor :- The Prosecutor has argued that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt against the accused. Hence, the accused be convicted and sentenced suitably.

Arguments of Defence Counsel :- Learned Counsel for the accused submitted that the complainant lodged FIR with inordinate delay of 04 days and no reason for delay has been given. The recording of disclosure statement on 08-09-2007 of the accused at Ganga Auto Mobile, is also not true and the police has not seized the stolen articles from his possession. The police has made the concocted story in this regard. The identification of the stolen articles has not been done properly, therefore, the prosecution has not proved the case beyond reasonable doubt against the accused. Therefore, accused be acquitted of the charges.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -

अभियोजन का प्रकरण :- अभियोजन का मामला यह है कि फरियादी कुलदीपक ने 29.08.2007 को सिटी कोतवाली में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि गंगा ऑटो मोबाइल्स के नाम से मोटर पार्ट्स की उसकी दुकान जगदेव तालाब में स्थित है। 24.08.2007 को लगभग 9.00 बजे रात्रि वह बंद करने के पश्चात् अपने घर चला गया था दिनाँक 25.08.2007 को लगभग सुबह 9:00 बजे, जब उसने दुकान खोली तो यह पाया कि मोटरपार्टस् फैले हुए थे । जीएनए कंपनी के दो क्राउन जिनका उपयोग टाटा कंपनी के वाहनों में होता है तथा जिनकी कीमत 7,000/- रूपये थी, नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट के आधार पर अपराध सं. 587/2007 भा.दं.सं. की धारा 457, 380 के अधीन दर्ज किया गया। नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियुक्त का प्रकटन कथन दिनाँक 08.09.2007 को अभिलिखित किया गया। उसके आधार पर दो क्राउन अभियुक्त के घर से जप्त किए गए। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :- अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया। उसका बचाव यह है कि उसे झूठा फंसाया गया है।

linkinglaws.com

अभियोजन की साक्ष्य :- अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में पांच साक्षियों के कथन कराए हैं। फरियादी कुलदीपक (अ.सा. 1) ने उसके द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 1 को साबित किया है। उसने गृह भेदन दुकान से सामान की चोरी के तथा वस्तु की पहचान के तथ्यों का कथन किया है। विवेचना अधिकारी (अ.सा. 2) ने मेमो एवं चोरी की वस्तु की जप्ती के संबंध में कथन किया है। राजाराम (अ.सा. 3) एवं गोपाल (अ.सा. 4) को मेमो एवं जप्ती को साबित करने के लिए परीक्षित कराया गया किन्तु उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। नायब तहसीलदार (अ.सा. 5) ने वस्तु की पहचान कराए जाने के तथ्य का कथन किया है।

बचाव साक्ष्य :- अभियुक्त ने बचाव में अपना कथन कराया है और अपने विरूद्ध लगाए गए आक्षेपों को इंकार किया तथा यह बचाव लिया है कि रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियोजक का तर्क :- अभियोजन का तर्क है कि अभियोजन ने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उपयुक्त दण्ड दिया जाए।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 04 दिन के असाधारण विलम्ब से दर्ज करायी है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। अभियुक्त ने दिनाँक 08.09.2007 को गंगा ऑटो मोबाइल्स पर प्रगटन कथन नहीं दिये और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की वस्तुएँ जप्त नहीं की । पुलिस ने इस संबंध में मनगढंत कहानी बनाई है। चोरी हुई वस्तुओं की पहचान उचित रूप से नहीं की गई है । इसलिए अभियोजन ने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

linkinglaws.com